

HIGH COURT OF MADHYA PRADESH, JABALPUR

Endorsement No. B/3710

Jabalpur, dated 06.7.2017

The Notifications of the Government of F.No. 17(E)83/03/21-B(one)2667/2017, Bhopal, dated 05.7.2017, issued as per the provisions of Section 153(1) and the other one issued as per the provisions of 153(2) of the Electricity Act, 2003 are forwarded to;

1. Registrar cum P.P.S. to Hon'ble the Chief Justice, High Court of M. P., Jabalpur for kind information of Hon'ble the Chief Justice,
2. The Registrar General, High Court of M.P., Jabalpur for kind information,
3. Principal Registrar, High Court of M.P. Bench at Gwalior and Indore for information,
4. The District and Sessions Judge, Ashoknagar, Morena, Raisen, Rajgarh, Sheopur and Tikamgarh for information and necessary action with request that the same be served on the concerned Officers also.
5. The Section Officer, Confidential/Checker, High Court of M.P., Jabalpur for information.
6. Server Room, Computer for an appropriate action in connection with uploading the same on the website.

V. Saxena
06.7.2017
(Vivek Saxena)
O.S.D. (D.E.)

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 5 जुलाई, 2017

फा.क्रमांक 17(ई)83/03/21-ब(एक)/2667/017, विद्युत् अधिनियम, 2003 (2003 का संख्यांक 36) की धारा 153 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा.क्रमांक 17(ई)83/03/इक्कीस ब (एक), दिनांक 16 सितम्बर, 2010 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग-1, में दिनांक 24 सितम्बर, 2010 को प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 60, 71, 97 एवं 97-ए तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियाँ स्थापित की जाएँ, अर्थात् :-

सारणी

अनुक्रमांक	सिविल जिले का नाम	विशेष न्यायालय का नाम	विशेष न्यायालय की क्षेत्रीय अधिकारिता (विद्युत क्षेत्र के अनुसार)
(1)	(2)	(3)	(4)
60.	मुरैना	षष्ठम अपर सेशन न्यायाधीश, मुरैना	सिविल जिला मुरैना का समस्त विद्युत क्षेत्र (अनुक्रमांक 61, 62 व 63 के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर)
71.	बेगमगंज, रायसेन	प्रथम अपर सेशन न्यायाधीश, बेगमगंज, रायसेन	बेगमगंज का विद्युत क्षेत्र।
97.	श्योंपुर	द्वितीय अपर सेशन न्यायाधीश, श्योंपुर	सिविल जिला श्योंपुर का समस्त विद्युत क्षेत्र (अनुक्रमांक 97-ए के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर)
97-ए	विजयपुर, श्योंपुर	अपर सेशन न्यायाधीश, विजयपुर	विजयपुर का विद्युत क्षेत्र।

NOTIFICATION

F.No. 17(E)83/03/21-B(1)/2667/017, In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 153 of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003), the State Government, with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh, hereby makes the following amendments in this department's Notification F.No. 17(E)83-03-XXI-B(1) dated 16th September, 2010, which was published in the Madhya Pradesh Gazette Part-1, dated 24th September, 2010, namely :-

AMENDMENT

In the said Notification, in the table, for serial numbers 60, 71, 97, and 97-A and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted, namely:-

TABLE

S. No.	Name of the Civil District	Name of Special Court	Territorial jurisdiction of Special Court (According to the electricity Area)
(1)	(2)	(3)	(4)
60.	Morena	VI th Additional Sessions Judge, Morena	All electricity area of Civil District Morena (excluding the territorial jurisdiction of Special Courts given at serial number 61, 62 & 63).
71.	Begumganj, Raisen	I st Additional Sessions Judge, Raisen	Electricity area of Begumganj.
97.	Sheopur	II nd Additional Sessions Judge Sheopur	All electricity area of Civil District Sheopur (excluding the territorial jurisdiction of Special Courts given at serial number 97-A).
97-A	Vijaypur, Sheopur	Additional Sessions Judge, Sheopur	Electricity area of Vijaypur."

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(ए. एम. सक्सेना)
प्रमुख सचिव

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

फा.क्र. 17(ई)83/03/21 व(एक)/2667/2017. भोपाल, दिनांक 03 जुलाई, 2017
प्रतिलिपि:-

1. रजिस्ट्रार जनरल, म.प्र. उच्च न्यायालय, जबलपुर के पत्र क्र. C/2499/III-6-4/03-IX, दिनांक 08.06.2017 के संदर्भ में,
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, उर्जा विभाग, मंत्रालय, भोपाल, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु,
3. उप नियंत्रक, शासन केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल, की ओर म.प्र. राजपत्र भाग-एक के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।
4. शाखा प्रभारी, आय.टी.शाखा, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल की ओर अधिसूचना की प्रति नेट पर अपलोड करने वायत प्रेषित।

(आर.क.वाणी)
सचिव

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

मध्यप्रदेश शासन विधि और विधायी कार्य विभाग
अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 5 जुलाई, 2017

फा.क्रमांक 17(ई)83/03/21-ब(एक)/2667/2017, विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 153 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 17(ई) 83/03/इक्कीस-ब(एक), दिनांक 16 सितम्बर, 2010 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग-1 में दिनांक 24 सितम्बर, 2010 में प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :-

(संशोधन)

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 5, 60, 71, 72, 97ए एवं 103ए तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियाँ स्थापित की जाएँ अर्थात् :-

सारणी

स.क्र.	सिविल जिले का नाम	विशेष न्यायालय का नाम	विशेष न्यायालय के न्यायालय का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
5.	मुंगावाली अशोकनगर	प्रथम अपर सेशन न्यायाधीश, मुंगावाली	श्री ए.पी.एस.चौहान, प्रथम अपर सेशन न्यायाधीश, मुंगावाली
60.	मुरैना	षष्ठम अपर सेशन न्यायाधीश, मुरैना	श्री मुन्ना लाल राठौर, षष्ठम अपर सेशन न्यायाधीश, मुरैना
71.	बेगमगंज, रायसेन	प्रथम अपर सेशन न्यायाधीश, बेगमगंज	श्री अरविंद सिंह रघुवंशी, प्रथम अपर सेशन न्यायाधीश, बेगमगंज
72.	राजगढ़	द्वितीय अपर सेशन न्यायाधीश, राजगढ़	श्री शेख सलीम, द्वितीय अपर सेशन न्यायाधीश, राजगढ़
97ए.	विजयपुर श्योपुर	अपर सेशन न्यायाधीश, विजयपुर	श्री अजय कुमार टेलर, अपर सेशन न्यायाधीश, विजयपुर
103ए.	जतारा टीकमगढ़	अपर सेशन न्यायाधीश, जतारा	श्री मनोज कुमार तिवारी (जूनि.), अपर सेशन न्यायाधीश, जतारा.

NOTIFICATION

F.No. 17(E)83/03/21-B(one)/2667/2017, In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 153 of the Electricity Act, 2003 (No.36 of 2003), the State Government, with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh, hereby, makes the following amendments in this department's Notification F.No.17(E) 83/03/21-B (1), dated 16th September, 2010, which was

published in the Madhya Pradesh Gazette, Part-1, dated 24th September, 2010, namely:-

AMENDMENT

In the said notification, in the table, for serial numbers 5, 60, 71, 72, 97A, and 103A and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted, namely:-

S. No.	Name of the Civil District	Name of Special Court	Name of the Judge of the Special Court
(1)	(2)	(3)	(4)
5.	Mungawali Ashoknagar	I st Additional Sessions Judge, Mungawali	Shri A.P.S.Chouhan, I st Additional Sessions Judge, Mungawali
60.	Morena	VI th Additional Sessions Judge, Morena	Shri Munnalal Rathore, VI th Additional Sessions Judge, Morena
71.	Begamganj, Raisen	I st Additional Sessions Judge, Begamganj	Shri Arvind Singh Raghuwanshi, I st Additional Sessions Judge, Begamganj
72.	Rajgarh	II nd Additional Sessions Judge, Rajgarh	Shri Sheikh Saleem, II nd Additional Sessions Judge, Rajgarh
97A	Vijaypur Sheopur	Additional Sessions Judge, Vijaypur	Shri Ajay Kumar Tailor, Additional Sessions Judge, Vijaypur
103A	Jatara Tikamgarh	Additional Sessions Judge, Jatara	Shri Manoj Kumar Tiwari (Jr.), Additional Sessions Judge, Jatara

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(Signature)
24/9/2017
(ए. एम. सक्सेना)
प्रमुख सचिव

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

//3//

फा.क्र. 17(ई)83/03/21-ब(एक)/2667/2017,
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 5 जुलाई, 2017

1. रजिस्ट्रार जनरल, म.प्र. उच्च न्यायालय, जबलपुर के पत्र क्र. C/2499/III-6-4/03-IX, दिनांक 20.06.2017 के संदर्भ में,
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, ऊर्जा विभाग, मंत्रालय, भोपाल, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु,
3. उप नियंत्रक, शासन केन्द्रीय गुद्रणालय, भोपाल, की ओर म.प्र. राजपत्र भाग-एक के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।
4. शाखा प्रभारी, आय.टी.शाखा, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल की ओर अधिसूचना की प्रति नेट पर अपलोड करने बाबत प्रेषित।


(आर.के.वाणी)
सचिव

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग